FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Karnal **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0027 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 04/09/2025 21:16 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो • करनाल • करनाल मण्डल

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 04/04/2016 **Date To (दिनांक तक):** 04/12/2017

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 10:00 hrs **Time To (समय तक):** 10:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/09/2025 **Time (समय):** 20:20 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 019 **Date and Time (दिनांक और समय):** 04/09/2025 20:46 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 50 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): Suger Mil Panipat,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Insp parveen Kumari

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1983 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	2206 SEC 7 KARNAL, ACB, Karnal, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	2206 SEC 7 KARNAL, ACB, Karnal, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7027786101

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुकरमपाल चीफ कैमिस्ट			1. शुगर मिल पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA
2	मदन लाल राठौर लैब ईन्चार्ज			1. शुगर मिल पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA
3	दीपक मित्तल लेखाकार पूर्व सेल मैनेजर			1. शुगर मिल पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA
4	सुरेन्द्र सिंह पूर्वसेलप्रबन्ध			1. शुगर मिल पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA
5	यशपाल सिंह लेखाकार कम पूर्व सेल प्रबन्धक			1. शुगर मिल पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA
6	सुधीर जावला पूर्व डिस्टलरी मैनेजर			1. शुगर मिल पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA
7	संजीव कुमार पूर्व डिस्टलरी यूनिट कैमिस्ट			1. शुगर मिल पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA
8	रमेश सरोहा हाल डिस्टलरी मैनेजर			1. शुगर मिल पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA
9	रणबीर लिपिक			1. शुगर मिल पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA
10	दलबीर सिंह पूर्व शुगर सेल मैनेजर			1. शुगर मिल पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA
11	राममेहर लिपिक			1. शुगर मिल पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरों, करनाल मण्डल, करनाल।श्रीमान जी,निवेदन यह है कि कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के Endst, No, 17250/Secret/ACB(H) dated 27.08.25 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल के डायरी क्रमांक 1982 दिनांक 01.09.2025 के सम्बन्ध में निवेदन है कि जांच क्रमांक 04 दिनांक 04.12.2017 पानीपत, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक न0 65/22 /2017-5वी-I दिनांक 28.11.2017 व महानिदेशक, राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठ क्रमांक 14985/I-6/रा0चौ0ब्यू0(ह0) दिनांक 4.12.2017 की अनुपालना में दर्ज रजिस्टर होकर पडताल हेतू प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच उप पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल मण्डल करनाल द्वारा अमल में लाई गई थी व जांच की अन्तिम रिपोर्ट तैयार करके कार्यालय पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो करनाल मण्डल करनाल के पत्र क्रमांक 2017/भ्र0नि0 ब्यूरो दिनांक 30.06.23 अनुसार कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला भेजी गई थी। जिसके पूर्ण अवलोकन उपरान्त कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला के पत्र क्रमांक 10861/Secret/ACB(H) dated 12.06.25 अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई थी। जिस पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 65/22/2017-5VIII दिनांक 25.08.2025 व अतिरिक्त महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरों पंचकुला के पृष्ठ क्रमांक 17250/Secret/ACB(H) dated 27.08.25 कार्यालय पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल के डायरी स0 1982 दिनांक 01.09.2025 व अतिरिक्त महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरों पंचकुला के पत्र क्रमांक 17809/ Secret/ACB(H) Panchkula dated 04.09.2025 व पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल के डायरी न0 2034 दिनांक 04.09.2025 के अनुसार जांच रिपोर्ट में आरोप न0 01 को पूर्णतया स्वीकार करते हुए व निम्न नामांकित आरोपीयान के खिलाफ धारा 17ए पी0सी0 एक्ट की अनुमति देते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जिसके सम्बन्ध में तहरीर प्रस्तुत है जो इस प्रकार से है ।

जो कि उपरोक्त वर्णित जांच में पाया गया कि श्रीमति गायत्री अहलावत ने दिनांक 04.04.2016 को फिजीकल वैरिफिकेशन के लिये एक कमेटी गठित करवाई थी। जिसमें चीफ कैमिस्ट सुकरम पाल, लैब ईचांर्ज मदन लाल राठौर, कैन मैनेजर करतार सिंह, संजीव कुमार डी.यु. कैमिस्ट, सुधीर जावला, डिस्टलरी मैनेजर शामिल थे, गठित कमेटी ने 106559 किंवटल शीरा फिजीकल वैरीफिकेशन में स्टाक में दर्शाया है। उसके बाद पूर्व एम.डी. गायत्री अहलावत द्वारा दिनांक 22.08.2016 को शुगर फैड कार्यालय के पत्र क्रमांक नं एस एम एफ-2016/टी.ए.एस./2618 दिनांक 10.08.16 के अनुसार दौबारा शीरे की फिजीकल वैरिफिकेशन के सम्बन्ध में एक कमेटी गठित की गई जिसमें डिस्टलरी मैनेजर सुधीर जावला, कैन मैनेजर करतार सिंह, सुकरम पाल, चीफ कैमिस्ट शुगर मिल पानीपत शामिल थे जिन्हौंने दिनांक 22.08.16 को फिजीकल वैरिफिकेशन रिपोर्ट पेश की जिसमें कुल शीरे की मात्रा 34301 किंवटल पाई गई थी। उपरोक्त दोनों फिजीकल वैरिफिकेशन में शीरे की मात्रा में अन्तर पाये जाने पर शुगर फैड पंचकुला द्वारा एक कमेटी गठित करके दिनांक 1.09.2016 को फिजीकल वैरिफिकेशन की गई थी। हरियाणा शुगर फैड, पंचकुला के रिकार्ड द्वारा सहकारी चीनी मिल एवं डिस्टलरी युनिट, पानीपत में उपलब्ध शीरे की क्वालिटी व स्टाक पोजिशन जानने बारें एक कमेटी का गठन किया गया था । गठित कमेटी में अशोक मलिक तकनीकी सलाहकार (शुगर) शुगर फैड, पंचकुला वा श्री करतार सिंह केन मैनेजर शुगर मिल, पानीपत, श्री तारीकेश चन्द्र कटियार चीफ कैमिस्ट शुगर मिल, महम, श्री कर्ण सिंह लैब

इन्चार्ज शुगर मिल, शाहबाद व श्री धनीराम शर्मा शुगर सेल मैनेजर, शुगर मिल, गोहाना शामिल किये गये थे । गठित कमेटी ने दिनांक 01.09.2016 को पानीपत शुगर मिल में फिजिकल वैरिफिकेशन व क्वालिटी चैक करने के लिए दौरा किया और पानीपत डिस्टलरी के संजीव शर्मा (एनालिस्ट कैमिस्ट) व पानीपत शुगर मिल के एम.एल. राठौर लैब इन्चार्ज को अपने साथ लेकर शीरा टैंको की फिजिकल वैरिफिकेशन व क्वालिटी चैक की गई । जिस पर शीरे के घनत्व से टैंकों में उस समय उपलब्ध शीरे की मात्रा की गणना की गई। गणना के दौरान डिस्टलरी के शीरा टैंक न0 1 में 12140 क्विंटल, शीरा टैंक न0 2 में 2354 क्विंटल, शीरा टैंक न0 3 में 5836 क्विंटल जो कुल 20,330 किवंटल शीरे का स्टाक पाया गया। जबकि शुगर मिल के शीरा टैंक न0 4 में 1829 क्विंटल व शीरा टैंक न0 5 में 7212 क्विंटल शीरा था जिसमें पांचों टैंकों में कुल 29,371 क्विटंल शीरा पाया गया। जबकि डिस्टलरी युनिट पानीपत में वर्ष 2016-17 में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार दिनांक 01.09.2016 को शीरे का स्टाक 74218 क्विंटल था। पानीपत शुगर मिल में वर्ष 2016-17 में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार दिनांक 01.09.2016 को शीरे का स्टाक 40783 क्विंटल दर्शाया गया था । जबकि शुगर मिल के टैंक न0 4 व 5 का कुल स्टाक 9041 क्विंटल था । जो फिजिकल वैरिफिकेशन व प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार 40783-9041 31742 क्विंटल कम पाया गया जो रिकार्ड अनुसार शुगर मिल पानीपत के द्वारा करवाई गई फिजीकल वैरिफीकेशन व शुगर फैड द्वारा करवाई गई फिजीकल वैरिफिकेशन व शुगर मिल के रिकार्ड व डिस्टलरी विभाग के रिकार्ड का मिलान करने पर शीरे की मात्रा पूरी नही पाई गई। इसी प्रकार शुगर मिल पानीपत के डिस्टलरी के टैंक न0 1 से 3 का कुल फिजिकल स्टाक 20330 क्विंटल था जो कि रिकार्ड मे 74218 क्विंटल दर्शाया गया था । जो फिजिकल वैरिफिकेशन व प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार 74218-20330 53888 क्विंटल कम पाया गया। जो शुगर मिल व डिस्टलरी दोनों के प्रस्तुत रिकार्ड को मिलाकर 85633 क्विंटल शीरा कम पाया गया । उस समय के शीरे के औसतन बाजार भाव 550/-रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 85630 क्विंटल शीरा की कीमत लगभग 4.70 करोड रूपये बनती थी ।

उस दौरान शुगरमिल में तैनात कर्मचारी/अधिकारी रिपोर्ट अनुसार स्टाक को अपनी सुविधानुसार घटा बढा कर दिखाकर सरकार को वितिय हानि पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। इसके अतिरिक्त शीरे की मात्रा का माप करने के बाद उसे स्थानान्तरित करने का कोई विशिष्ट तरीका नही था। इसके ईलावा मिल से डिस्टलरी को शीरा स्थानान्तरित करने के लिये पाईप लाईन पर नापतौल के लिये कोई ठोस प्रबन्ध भी नहीं था। जिस कारण आरोपी कर्मचारी/अधिकारी स्टाक रजिस्टर में हेर फेर करने में कामयाब रहे।

इसके अतिरिक्त Distillation पूर्णतः एक केमिकल प्रकिया है जोकि एक्साईज विभाग द्वारा निर्धारित फार्मूला पर आधारित होती है, रिकवरी ही वह मापदण्ड है जिससे यह ज्ञात होता है कि कितना कच्चा माल (शीरा) लगाकर कितनी Country Liquor डिस्टलरी द्वारा उत्पादित की गई है। शीरे के रिकार्ड में यह छेडछाड, रिकवरी को झूठा बढा चढाकर दिखाया गया है, शीरे को वर्ष 2007-08 से 2013-14 के दौरान बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। लेकिन यह तथ्य सामने आया है कि डिस्टलरी युनिट में एक्साईज विभाग द्वारा बनाए गए नियमानुसार डिस्टलरी युनिट से रिकवरी 15 से 18 प्रतिशत तक होनी चाहिए जबकि वर्ष 2006 से वर्ष 2013 तक यह लगातार 19 प्रतिशत से 23 प्रतिशत तक असामान्य रूप से बढी हुई दिखाई गई है। जो वर्ष 2006 से 2013 तक असाधारण रूप सें जो हाई रिकवरी आई है वह एक्साईज विभाग द्वारा निर्धारित फार्मूला से मेल नही खाती है शुगरमिल के अधिकारीयों द्वारा इन वर्षो में रिकवरी में अत्याधिक रूप से हेर फेर (Manuplated) किया गया है। जिससे शीरे की वास्तविक ज्यादा खपत को कम खपत दिखाया गया है यह हेर फेर वर्ष 2013 तक किया जाता रहा जिसमें बुक व ग्रांउड स्टाक के अन्तर को लगभग 80000 किवटल तक संचित कर दिया। यह हेर फेर निम्न आरोपीयो की बदनियती व मिलीभगत की वजह से किया जा रहा था व छुपाया जा रहा था जोकि दिनांक 22.08.2016 को गठित की गई कमेटी द्वारा एक्साईज विभाग के फार्मूला को लागू किए जाने पर शीरे के इस अन्तर की पूर्ण रूप से गणना हो सकी ।

वर्ष 2013-14 में शुगरमिल की भण्डारण क्षमता 45338 किवंटल थी। जबकि मिल के अधिकारीयों द्वारा रिकार्ड में शीरे का क्लाजिंग स्टाक 87419 किवटंल दिखाया गया था। जोकि टैंको की निर्धारित क्षमता 42081 किवटंल अधिक है। वर्ष 2014-15 में शुगरमिल की भण्डारण क्षमता 45338 किवटल थी जबकि रिकार्ड में क्लाजिंग स्टाक 96788 किवटंल दिखाया गया था। जोकि निर्धारित क्षमता से 51450 ज्यादा है।

शुगर मिल पानीपत में तैनात रहे कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा आपस में मिलीभगत करके, बदनियति से सरकार को नुकशान पहुंचाने के उदेश्य व स्वयं को लाभ पहुंचाने के उदेश्य से अपने पद व शक्तियों का दुरूपयोग करके स्टाक में छेडछाड की जाकर अपनी सुविधानुसार स्टाक को घटाया बढाया तथा कमेटी के सदस्य होते हुए गलत रिपोर्ट पेश करके

फर्जी नोटिंग, बिल इत्यादि दस्तावेज तैयार करके 85,630 क्विटंल शीरा जिसकी कीमत 550/-रूपये प्रति किवंटल के हिसाब से कुल 4,70,96,500 48,75,000/-रूपये कुल 5,19,71,500/- रुपये की शुगरमील पानीपत को वित्तीय हानि पहुँचाकर गबन करना पाया गया है। उपरोक्त वर्णित गबन के मददेनजर शीरा के स्टाक में छेडछाड किए जाने के कारण अपनी सुविधानुसार स्टाक को घटाया बढाया जाना दिखाए जाने फिजिकल वैरीफिकेशन में स्टाक से सम्बन्धित गलत तथ्य प्रस्तुत करने तथा वास्तविक क्षमता से अधिक स्टाक दिखाकर आरोपीयो ने लगातार कई वर्ष तक सरकार को वितिय हानि पहुंचाई है। अतः शुगरमिल पानीपत में तैनात रहे निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों 1.सुकरमपाल चीफ कैमिस्ट 2. मदन लाल राठौर, लैब ईन्चार्ज 3.दीपक मित्तल, लेखाकार/पूर्व सेल मैनेजर4.सुरेन्द्र सिंह पूर्व सेल प्रबन्धक 5.यशपाल सिंह लेखाकार कम पूर्व सेल प्रबन्धक 6. सुधीर जावला पूर्व डिस्टलरी मैनेजर 7.संजीव कुमार पूर्व डिस्टलरी यूनिट कैमिस्ट 8.रमेश सरोहा हाल डिस्टलरी मैनेजर 9.रणबीर लिपिक 10.दलबीर सिंह पूर्व शुगर सेल मैनेजर11.राममेहर लिपिक, के विरूद्ध धारा 409,420,467,468,471,120B IPC 13(1)d,13(2) PC Act, 1988 के तहत अभियोग दर्ज करके अभियोग की स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व अफसरानबाला की सेवा में भेजी जा रही है अभियोग में आगामी अनुसंधान हेतु अन्य अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया जाए ।
अज. राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरों, करनाल मण्डल, करनाल। Sd Parveen Kumari निरीक्षक (प्रवीन कुमारी)राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरों, करनाल मण्डल, करनाल । दिनांक 04.09.2025 At 8.20 pm
अज थानाः- उपरोक्त तहरीर पर कायमी अभियोग सख्या 27 दिनांक 04.09.2025 धारा 409,420,467,468,471,120B IPC 13(1)d,13(2) PC Act, 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्पयूटरकृत प्रतिया तैयार करके अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला वा डियुटी मैजिस्ट्रेट साहब पानीपत को बजरियां E-Mail सूचना दी गई । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर को अफसरान बाला के आदेशानुसार आगामी अनुसन्धान हेतू उप पुलिस अधीक्षक श्री शमशेर सिंह ह0पु0से0 , थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल के हवाले की जाएगी । उपरोक्त अभियोग प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक दीपक, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल की हाजरी में दर्ज रजिस्ट्रर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** PARVEEN KUMARI **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 395PPT **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Deepak Kumar

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): 875/knl

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.